न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 132 / 2017

तारीख रजू 06.07.2017

हरिसिंह पुत्र रामनाथ जाति कोठयारी निवासी बासडा नदी तह.बौंली। ---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बौंली। ----- रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 12.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बौंली द्वारा मिसल संख्या 2668 / 2011 मे पारित आदेश दिनांक 22.02.2011 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बासडा नदी के आराजी खसरा नम्बर 884 रकबा 0.12 बीघा किस्म सिवायचक पर संवत 2067 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर गेहूॅ की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 884 करबा 0.12 हैक्टर किस्म सिवायचक का मौका देखे बिना ही अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। जबकि पूर्व में दिनांक 07.05.08 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बौंली ने एस.डी.ओ. बौंली को नियमन हेतु सिफारिस की थी। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र 0.12 हैक्टर भूमि पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने में अहम भूल की है क्योंकि अपीलान्ट काफी वृद्व व्यक्ति है तथा आखॉ से भी कम दिखता है, इसलिए अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक द्वेषता के कारण अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश [illegible] मात्र [illegible] रखता नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट [illegible] सुनवाई व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

30

सबूत प्रस्तुत करने का उचित समय नहीं दिया गया है। यह है कि पश्चातवर्ती के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2011 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट परिवार को नोटिस की तामील करायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे तहसीलदार बौंली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2011 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.10.202[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:30:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)